

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट जिला
राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :- श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 10/2024

किस्म :- प्रार्थना-पत्र

दायर दिनांक : 23.07.2024

निर्णय दिनांक: 11.02.2025

उनवान

1. जीतमल पुत्र लहरू जाति जाट निवासी भोलीखेडा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद
.....प्रार्थी

बनाम

1. भेरूलाल पुत्र लहरू जाति निवासी भोलीखेडा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आमेट जिला राजसमंद

.....विपक्षीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत पत्थरगढी

प्रार्थी की ओर से :- अधिवक्ता सत्यनारायण व्यास

विपक्षी सं. 01 की ओर से :- अधिवक्ता धर्मेश शर्मा

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत पत्थरगढी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भोलीखेडा पटवार हल्का लीकी तहसील आमेट जिला राजसमंद में प्रार्थी के आधिपत्य, कब्जे एवं खातेदारी की भूमि स्थित है, जिसके खाता सं. नया 58 पुराना 44 आराजी नं. 946/353 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नं. 947/358 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नं. 948/359 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 0.2700 हैक्टेयर है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर प्रार्थी काबिज होकर उपयोग-उपभोग कर रहा है एवं खा कमा रहा है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों के सटमा विपक्षी संख्या 01 की कृषि भूमियां स्थित है, जिनके आराजी नम्बर 353मी. 358मी, 359मी. स्थित है। विपक्षी द्वारा प्रार्थी की भूमि को हडपने की नियत से नाजायज रूप से कब्जा कर हस्तक्षेप करना चाहता है तथा आए दिन प्रार्थी की अनुपस्थिति में पत्थर हटाकर प्रार्थी की भूमि की सीमा के बारे मे विवाद करता है। विपक्षी संख्या 01 शक्ति एवं गुण्डागिर्दी के बल पर प्रार्थी की आराजीयात को हडपने की चेष्टा रखता है। विपक्षी संख्या 01 प्रार्थी को अनुचित रूप से परेशान कर रहा है एवं बार-बार लडाईं झगडा करने को उतारू हो रहा है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि से विपक्षी संख्या 01 का कोई सम्बन्ध नहीं है। विपक्षी संख्या 01 प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में अतिक्रमण करने पर आमादा है एवं सीमा को लेकर विवाद कर रहा है, जिस पर प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 02 के यहां सीमा जानकारी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर पटवारी हल्का लीकी द्वारा दिनांक 30.01.2024 को मौके पर उपस्थित होकर सीमा अंकित करवाई थी, जिसे भी विपक्षी संख्या 01 द्वारा हटा दिये गये, इसलिए प्रार्थी की उक्त आराजीयात की नुपुनी कर



न्यायालय सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी आमेट

पत्थरगढी की जाना नितान्त आवश्यक हो गया है, क्योंकि विपक्षी संख्या 01 प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण एवं हस्तक्षेप करने के लिए आमादा है, प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमियों के मध्य स्थित सीमा को लेकर ही विवाद है, अन्य सीमाओं के खातेदारों से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। वाद हेतुक दिनांक 05.07.2024 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 01 ने प्रार्थी की भूमि की सीमा पर रखे पत्थरों को हटा दिया है एवं अनाधिकृत हस्तक्षेप करने का प्रयास करने से उत्पन्न होकर लगातार जारी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम भोलीखेडा, पटवार हल्का लीकी तहसील आमेट जिला राजसमंद में स्थित उक्त वर्णित भूमि का विपक्षीगण की मौजूदगी में सीमाबन्दी कर पत्थरगढी करवायी जावे एवं खर्चा प्रार्थना पत्र व अन्य सहायता जो प्रार्थी को विपक्षीगण से दिलावायी जा सके वह दिलावायी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता धर्मेस शर्मा ने वकालत नामा पेश किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में ग्राम भोलीखेडा, पटवार हल्का लीकी, तहसील आमेट जिला राजसमंद की जमाबन्दी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि विपक्षी, प्रार्थी की भूमि को हड़पने की नियत से नाजायज रूप से कब्जा कर हस्तक्षेप करना चाहता है तथा आए दिन प्रार्थी की अनुपस्थिति में पत्थर हटाकर प्रार्थी की भूमि की सीमा के बारे में विवाद करता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि से विपक्षी संख्या 1 का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थी की उक्त आराजीयात की नपती कर पत्थरगढी की जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। विपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किए।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में दिये गये उजरात एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह तार्ईद है कि प्रार्थी विवादित जमीन का तन्हा रिकार्ड्ड खातेदार है एवं विपक्षी सं. 01 ने भी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपनी सहमति दी है, वैसे भी प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में पत्थरगढी कराने पुर्ण अधिकार है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम भोलीखेडा, पटवार हल्का लीकी, तहसील आमेट जिला राजसमंद में खाता सं. नया 58 व पुराना 44 आराजी नं. 946/353 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नं. 947/358 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, आराजी नं. 948/359 रकबा 0.1400 हैक्टेयर कुल किता 03 रकबा 0.2700 हैक्टेयर भूमि में

उपलब्ध संदर्भिक कलक्टर :
उपखण्ड अधिकारी आमेट



पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी करने हेतु मौका कमिश्नर तहसीलदार आमेट को नियुक्त किये जाते है कि राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत उक्त भूमि की पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट मय मौका पर्चा, नक्शा ट्रेस समयावधि के तहत न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति तहसीलदार आमेट को भेजी जावें ।

(गोविन्द सिंह) कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)



निर्णय दिनांक 11.02.2025 को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह) कलक्टर एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)